



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274501
CG-DL-E-14072026-274501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3688]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3688]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3850(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में NH330B के कि.मी. 25.4 से कि.मी.38.6 (डिजाईन लम्बाई 14+100 कि.मी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी गोण्डा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में NH330B के कि.मी. 25.4 से कि.मी.38.6 (डिजाईन लम्बाई 14+100 कि.मी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करनैलगंज					
गांव का नाम: सकरौरा ग्रामीण					
1	2133	निजी	कृषि	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
2	2134	निजी	कृषि	0.2476 (हेक्टेयर)	0.2476
3	2135 Sa	निजी	कृषि	0.6336 (हेक्टेयर)	0.6336
4	2157	निजी	कृषि	0.0775 (हेक्टेयर)	0.0775
5	2472	निजी	कृषि	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
6	2473	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
7	3022	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
8	3401	निजी	कृषि	0.0049 (हेक्टेयर)	0.0049
गांव का नाम: कूरी					
9	106	निजी	कृषि	0.544 (हेक्टेयर)	0.544
गांव का नाम: भंभुवा					
10	343 Sa	सरकारी	रास्ता	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
11	367	निजी	कृषि	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
गांव का नाम: चंगेरिया					
12	783	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
गांव का नाम: मसौलिया					
13	253	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
14	532	सरकारी	अकृषि	0.217 (हेक्टेयर)	0.217
15	558	निजी	कृषि	0.0857 (हेक्टेयर)	0.0857

गांव का नाम: गोनवाँ					
16	227	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
17	229	निजी	कृषि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
18	230	निजी	कृषि	0.0348 (हेक्टेयर)	0.0348
गांव का नाम: कुम्हरगढ़ी					
19	143	निजी	कृषि	0.1765 (हेक्टेयर)	0.1765
Total					2.3263

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-330B/2024-25/755/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3850(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH330B in the stretch of land from Km. 25.4 to Km. 38.6 (Design length 14+100) in the district of GONDA in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Competent Authority / Special land Acquisition Officer, Gonda** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH330B in the stretch of land from Km. 25.4 to Km. 38.6 (Design length 14+100) in the district of GONDA in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: GONDA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Colonelganj					
Village: Sakraura Gramin					
1	2133	Private	Agriculture	0.0102 (Hectare)	0.0102

2	2134	Private	Agriculture	0.2476 (Hectare)	0.2476
3	2135 Sa	Private	Agriculture	0.6336 (Hectare)	0.6336
4	2157	Private	Agriculture	0.0775 (Hectare)	0.0775
5	2472	Private	Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
6	2473	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
7	3022	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
8	3401	Private	Agriculture	0.0049 (Hectare)	0.0049
Village: Kuri					
9	106	Private	Agriculture	0.544 (Hectare)	0.544
Village: Bhabhuwa					
10	343 Sa	Government	Way	0.041 (Hectare)	0.041
11	367	Private	Agriculture	0.0055 (Hectare)	0.0055
Village: Changeriya					
12	783	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
Village: Masauliya					
13	253	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
14	532	Government	Non Agriculture	0.217 (Hectare)	0.217
15	558	Private	Agriculture	0.0857 (Hectare)	0.0857
Village: Gonwa					
16	227	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
17	229	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
18	230	Private	Agriculture	0.0348 (Hectare)	0.0348
Village: Kumhargarhi					
19	143	Private	Agriculture	0.1765 (Hectare)	0.1765
Total					2.3263

[F. No. CE-RO/LKO/NH-330B/2024-25/755/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director